

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर

क्रमांक / पंचा.-995 / पंग्राविवि. / 2012
प्रति,

रायपुर, दिनांक 17.04.2012

संचालक,
पंचायत एवं समाज सेवा
छत्तीसगढ़

विषय :- पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में संशोधन बाबत ।

—00—

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.	विवरण	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय	रु. 2500 / - प्रतिमाह	रु. 10000 / - प्रतिमाह
2	जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय	रु. 1500 / - प्रतिमाह	रु. 6000 / - प्रतिमाह
3	जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय	-	रु. 4000 / - प्रतिमाह
4	जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय	रु. 1500 / - प्रतिमाह	रु. 4500 / - प्रतिमाह
5	जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय	रु. 1000 / - प्रतिमाह	रु. 2500 / - प्रतिमाह
6	जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय	-	रु. 1200 / - प्रतिमाह

- सरपंचों को वर्तमान में देय मानदेय रु. 500 / - प्रतिमाह में आंशिक संशोधन करते हुए उसके स्थान पर पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक रु. 500 / - के मान से अधिकतम रु. 2000 / - मासिक बैठक भत्ता देय होगा ।
- ग्राम पंचायत के पंचों को पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक रु. 100 / - के मान से अधिकतम रु. 200 / - मासिक बैठक भत्ता देय होगा । संशोधित दरे 01 अप्रैल 2012 से प्रभावशील होंगी ।

वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. 173 / सी.एन. 00003513 / बजट-2 / वित्त / 2012 दिनांक 02.03.2012 एवं यू.ओ.क्र. 306 / सी.एन. 00003513 / बजट-2 / वित्त / 2012 दिनांक 04.04.2012 द्वारा उक्त संशोधन के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. सिंह)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग